न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 67 / 2018 **अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री मुकेश कुमार पिता अम्बालाल रांका निवासी आई—12 आर्चिड़ ग्रीन सोसायटी, गिरधर नगर ब्रिज के पास, अहमदाबाद	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा
——अपीलार्थी		**——प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 31 .08.2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 30.07.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 924304 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 16.05.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा को जरिये डाक प्रेषित किया गया। किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 16.05.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 06.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा के पत्रांक 183 दिनांक 29.08.2018 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को सूचना जरिये डाक पत्रांक 46 दिनांक 29.05.2018 को प्रेषित

किए जाने की प्रति संलग्न है। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बिन्दु सं. 01 में प्रकरण संख्या व निर्णय दिनांक अंकित हैं। इसके उपरान्त भी प्रत्यर्थी द्वारा उनवान तथा किस्म मुकदमा का आक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। बिन्दु सं. 02 के संबंध में तहसीलदार माण्डल द्वारा 6(3) के अन्तर्गत पत्रांक/सू.अधि/2018/ 93–95 दिनांक 25.05.2018 से तहसीलदार करेडा को अन्तरित किया जाना पाया जाता हैं, लेकिन तहसीलदार करेडा द्वारा भी वांछित सूचना नियत समयावधि में उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में निर्णय दिनांक से 15 दिवस में अपीलान्ट को प्रत्यर्थी एवं तहसीलदार करेडा द्वारा सूचना निःशुल्क उपलब्ध करा पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। इसी आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल तथा तहसीलदार करेडा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 21.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा